न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1.हरीश कुमार पुत्र कपूराराम जी, जाति– रावल, निवासी– हडमतिया, तहसील– रेवदर
2.फोजाराम पुत्र समरथाराम जी, जाति– रावल, निवासी– हडमतिया, तहसील– रेवदर
3.उम्मेदाराम पुत्र पुनमाराम जी, जाति– रावल, निवासी– हडमतिया, तहसील– रेवदर
4.भीखाराम पुत्र डायाराम जी, जाति– रावल, निवासी– हडमतिया, तहसील– रेवदर
5.देवाराम पुत्र वेजाराम जी, जाति– रावल, निवासी– हडमतिया, तहसील– रेवदर

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, मण्डार, जिला–सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 06/2022

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–ः निर्णय ः– **दिनांक 31 मार्च, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा प्रकरण संख्या 98/2021 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 बाबत ग्राम हडमतिया, पटवार हल्का रायपुर के खसरा संख्या 102 रकबा 5.00 बीघा किस्म गोचर भूमि से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। यह कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रायपुर द्वारा अपीलार्थीगण को जिस गोचर भूमि पर अतिक्रमी बताया है उस भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा नही है, बल्कि उस भूमि पर समस्त ग्रामवासी हडमतिया द्वारा ग्राम हडमतिया व आस–पास के लावारिश पशुओं जिसमें मुख्य रुप से गाय व सांड के खाने व पानी के लिये वृक्षारोपण किया गया है जिसकी देखरेख समस्त ग्रामवासी हडमतिया द्वारा चन्दा एकत्रित कर की जा रही है। पूर्व में ग्राम के आवारा पशु दिन भर सडकों पर व गलियों में इधर उधर घूमते रहते थे जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती थी व बच्चे बूढे लोग घर से बाहर निकलने में कतराते थे व आवारा पशु खेतों में घुसकर किसानों की फसले बर्बाद करते थे इसलिये सभी ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर आपसी सहमति से गोचर भूमि में इन आवारा पशुओं के खाने पीने की व्यवस्था की है जिसमें न तो अपीलार्थीगण का निजी हित है व न ही ग्राम के अन्य व्यक्तियों का कोई निजी हित है तथा न ही इस खसरे पर काश्त की जा रही है। [illegible] द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है तथा गौशाला का पंजीय[illegible]या हुआ है। यह कि ग्राम वाले के द्वारा की गई गौशाला [illegible] सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:19:00 IST
Reason: SelfAttested

.......लगातार

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बातों को छुपाकर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रायपुर को शिकायत की, जिस पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रायपुर ने कोई जांच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय में अतिक्रमण बाबत अपीलार्थीगण के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह कि गोचर भूमि का उपयोग गांव के गाय, आदि आवारा पशुओं हेतु किया जा रहा है, जिसमें अपीलार्थीगण या ग्राम के किसी अन्य व्यक्तियों का कोई स्वार्थ नही है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2021 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रायपुर द्वारा संवत 2078 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम हडमतिया, पटवार हल्का रायपुर के खसरा संख्या 102 कुल 73.08 बीघा किस्म गोचर भूमि में से रकबा 5.00 बीघा भूमि पर तारबन्दी, बाडा, चबुतरा, टीनशेड आदि बनाकर अतिक्रमण करने के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रायपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण उपस्थित हुए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब आदि प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रायपुर द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2078 में ग्राम हडमतिया के खसरा संख्या 102 कुल रकबा 73.08 बीघा किस्म गोचर भूमि में से रकबा 5.00 बीघा भूमि पर अपीलार्थीगण द्वारा तारबन्दी, बाडा, चबूतरा, टीनशेड लगाकर/निर्माण व कब्जा कर अतिक्रमण करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण उपस्थित हुये, लेकिन अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में बचाव में जवाब व साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया। चूंकि राजस्व रेकर्ड में ग्राम हडमतिया, पटवार हल्का रायपुर के खसरा संख्या 102 कुल रकबा 73.08 बीघा भूमि गोचर भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 102 कुल रकबा 73.08 बीघा में से रकबा 5.00 बीघा किस्म गोचर भूमि पर अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:19:00 IST
Reason: SelfAttested